राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग / सामान्य / 2017 / दिनांकः–

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग मे कार्यरत अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिको द्वारा अपनी एवं अन्य अराजपत्रित नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न प्रकरण यथा–एसीपी स्वीकृति, स्थाईकरण स्वीकृति, अध्ययन अवकाश स्वीकृति, अवकाश स्वीकृति, एपीओ अवधि नियमितिकरण आदि सीधे ही अथवा संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी / खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ही अग्रेषित कर निदेशालय को भिजवा दिये जाते है, जो परिपक्व स्थिति में नहीं होने के कारण इनके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है, यह प्रक्रिया कार्यालय प्रक्रिया के भी अनुसार नही है।

अतः भविष्य में निदेशालय स्तर से निस्तारित किये जाने वाले सभी प्रकरण संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकरी / अधीक्षक, संलग्न सम्बद्व चिकित्सालय समूह के माध्यम से अग्रेषित कराये जाकर प्रकरण में आवश्यक दस्तावेजो / प्रपत्रों आदि की प्रमाणित छायाप्रति सलंग्न कर प्रकरण समुचित रूप से पूर्ण होने के पश्चात् ही भिजवावें, जिससे की प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब ना हो। बिना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / अधीक्षक, संलग्न सम्बद्व चिकित्सालय समूह से अग्रेषित कराये गये प्रकरणों पर विचार नही किया जावेगा।

Sd

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग / सामान्य / 2017 / 183 दिनांकः– 28/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त अधीक्षक, संलग्न सम्बद्व चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान / चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत कार्मिकों के प्रकरण सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ही भिजवावें।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Desktop\ANM\ Letter 2017